

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री शांति लाल पुत्र माधव लाल जाट निवासी सादड़ी जिला राजसमन्द (राज0)	बनाम	थानाधिकारी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
---प्रार्थी		---विपक्षी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :- श्री शाहीद अहमद (अधिवक्ता) - प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक : 29.04.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री शांति लाल पुत्र माधव लाल जाट निवासी सादड़ी जिला राजसमन्द का वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 30 GA 8407 ईजन नंबर TBK4M61930 चेचिस नंबर MA1ZR2TBKL5A13612 जिसे पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2022 पुलिस थाना, बनेडा के अपराध अंतर्गत धारा 5, 6, 8 गोवंध अधिनियम, 1995 में जब्त किया है एवं प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्च से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन महिन्द्रा पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 30 GA 8407 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.04.2022 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी बनेडा द्वारा पत्रांक 480 दिनांक 13.04.2022 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक जमानत पर है एवं प्रकरण में कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 30 GA 8407 थाना परिसर में पड़े-पड़े खराब हो रहा है एवं अनुसंधान में अब उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय AIR 2003 SC 638 सुन्दरबाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को विचारण के लंबन काल के दौरान मालखाने के बाबत् प्रकरण के विचारण से पूर्व सुपुर्दगी पर या अंतिम निस्तारण बाबत् आदेश आज्ञापक रूप से पारित कर देना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुद्र किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। उक्त वाहन की अभियोजन अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में फिलहाल आवश्यकता होना जाहिर नहीं किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वाक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के संतुष्टिप्रद 7,00,000/- (सात लाख) रुपये का जमानत नामा व 7,00,000/- (सात लाख) रुपये का सुपुद्रगीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 30 GA 8407 को प्रार्थी को निम्न शर्तों पर अंतरिम रूप से सुपुद्र किये जाने का आदेश दिया जाता है यदि प्रार्थी -

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन/आकार-प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुरद बुर्द नहीं करेगा।

इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, बनेडा को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार उक्त महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 30 GA 8407 प्रार्थी को सिपुद्र किया जावें।

आदेश की प्रति थानाधिकारी, बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भिलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भिलवाड़ा